

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

८९२५५/६०
१९

निर्णय दिनांक १०.१०.१७

रिपोर्ट पटवारी हल्का राजाखेडा द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक २९.९.१७ को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का राजाखेडा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल खोसु पुत्र लोडुका कौम खोसु निवासी सिहवा तहसील राजाखेडा ने आराजी ख० न० २२५ किस्म आर० ए० रकवा ०१० बांके ग्राम सिहवा पर पटवारी हल्का की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान २००० की ५० गुनी से शास्ति राशि १००० रुपये आरोपित की जाती है। भू० अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी० आर० ए० को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

राशि १०० पंजिका क

उ स० ३२ ग्राम स० १३

दर्ज की गई

TRA
6/2/18

राजाखेडा

तहसीलदार
राजाखेडा